

✓

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: १.३।८) नविवि/३/२००१

जयपुर, दिनांक: १२.७.२००१

:: संशोधन ::

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. ५ (८) नविवि/३/९९ दिनांक २६.५.२००० के बिन्दु संख्या २ के द्वितीय पैरा को विलोपित करते हुए निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जात है :-

ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि नगर निकाय/न्यास या प्राधिकरण के नम दर्ज हो चुकी हो उसे नियमन/भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से राजकीय भूमि के समकक्ष ही माना जावेगा, चाहे ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो।

शासन उप सचिव

प्रतिनियित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
२. नजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
३. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
४. नमस्त संभागीय आयुक्त,
५. नमस्त जिला कलेक्टर,
६. नमस्त नगर विकास न्यास,
७. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्ध नगर नरियद/नगर पालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने की व्यवस्था करें।

उप विधि परामर्शी